पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/वाणिज्य कर/08–09/देहरादून।

परिपत्र

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड़
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः:दिनांक 24 जनवरी,2009

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

विषयः– **भट्टा सीजन वर्ष 2008–2009 (01.10.2008 से 30.09.2009) के लिए समाधान योजना लागू किये जाने, आयातित ईटों की समाधान राशि में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में।**

शासन द्वारा अपने पत्र संख्या–59/09/XXVII(8)/01(A)(120)2009, दिनांक 22.01.2009, (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा भट्टा सीजन वर्ष 2008–09 के लिये भट्टा समाधान योजना लागू कर दी गयी है तथा वर्तमान में आयातित ईटों पर लिये जाने वाले समाधान शुल्य की राशि में भी 170 रूपये प्रति हजार ईट के स्थान पर 180 रूपये प्रति हजार ईट समाधान राशि लिये जाने के निर्णय से अवगत कराया गया है।

शासन के उक्त पत्र की प्रति संलग्नों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि शासन द्वारा भट्टा सीजन वर्ष 2008–09(01.10.2008 से 30.09.2009) के लिये समाधान योजना लागू किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(एल0एम0पन्त)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड़, देहरादून।

पृ0प0सं0 3647 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड़ वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।
5– एडिशनल कमिश्नर (आडित)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6– समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7— ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
8— ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।
9— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करे।
10— पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रूडकी।
11— संख्या—अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों /अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दे।
12— इन्टावैट ईन्फो प्रा0 लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर0 सिधुआ मार्ग मुम्बई—400001।
13— नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्ड़िग अम्बेडकर रोड़ गाजियाबाद।
14— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।
15— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रट कम्पाउण्ड़ राजनगर गाजियावाब।
16— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
17— विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

23/1/2009
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्या-59/09/XXVII(8)/वा.(A)(ईट)/2001

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विभाग : वित्त (अनुभाग-8)

दिनांक : देहरादून : 22 जनवरी, 2009

विषय: **भट्ठा सीजन वर्ष 2008-2009 (01-10-2008 से 30-09-2009) के लिए समाधान योजना लागू किये जाने, आयातित ईटों की समाधान राशि में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

भट्ठा सीजन वर्ष 2008-2009 के लिए भट्ठा समाधान योजना को उत्तराखण्ड में लागू करने का शासन स्तर से निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से जारी किये जाने वाले दिशा निर्देशों की प्रति आपको इस पत्र के साथ इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया योजना के प्राविधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने स्तर से करते हुए दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। ईट निर्माताओं द्वारा समाधान योजना अपनाते समय संलग्न प्ररूप-2 में ईट भट्ठों के सम्बन्ध में पायों की जो संख्या घोषित की जाये उसका कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से सत्यापन कराना भी सुनिश्चित करें।

शासन स्तर से आयातित ईटों पर लिये जाने वाले समाधान शुल्क की राशि में भी 170 रुपये प्रति हजार ईट के स्थान पर 180 रुपये प्रति हजार ईट समाधान राशि लिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः जॉच चौकियों में तत्कालिक प्रभाव से उक्त निर्णय के प्राविधानों के अनुसार आयतित ईटों पर समाधान शुल्क लिये जाने की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

7417
23-1-09

Vividh Patra/Commissiner ko Presit/DT

उत्तराखण्ड ईट भट्टा निर्माताओं द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अर्न्तगत विशिष्ट इंगित मदों के कय–विकय पर देय मूल्य वर्धित कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) के अर्न्तगत एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश भट्टा सीजन वर्ष 2008–2009 के सम्बन्ध में।

(1) उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड में ईटों के निर्माताओं से उनके द्वारा 2008–2009 दिनांक 1–10–2008 से 30–09–2009 तक की अवधि में (जिसको आगे "सीजन वर्ष" कहा गया है) निर्मित ईटों, ईट भट्टे में निर्मित टाइल्स ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, कोयला, लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के स्थान पर एकमुश्त धनराशि (जिसे आगे समाधान धनराशि कहा गया है) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है।

(2) उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (2) में उन ईंटों के निर्माता व्यापारियों जिसमें ऐसे व्यापारी भी सम्मिलित हैं, जो ईटों के निर्माण/बिक्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की खरीद/ बिक्री का भी व्यापार करते हैं, द्वारा केवल अपने भट्टे से स्व–निर्मित ईंटों, ईट के रोड़ों और ईंट भट्टा में निर्मित टाइल्स तथा राबिस की बिक्री तथा ऐसी ईटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, कोयला, लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त सीजन वर्ष के लिये देय कर के विकल्प में समाधान राशि स्वीकार की जाएगी। अन्य वस्तुओं की खरीद/बिक्री पर विधि के अनुसार कर देय होगा जो समाधान राशि के अतिरिक्त होगा।

(3) गत "सीजन वर्ष" (दिनांक 1–10–2007 से 30–09–2008) में जिन ईट निर्माताओं ने विधि के अनुसार देय कर के विकल्प में शासन के निर्देश के अधीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, उनमें से जिनके द्वारा सभी देय किस्तें उन निर्देशों/शर्तों के अनुसार जमा नहीं की है, ऐसे ईट निर्माता सीजन वर्ष 1 अक्टूबर, 2008 से 30 सितम्बर, 2009 के लिए इन निर्देशों के अधीन उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (2) में विकल्प देने के अधिकारी नहीं होंगे, जब तक कि वे गत "सीजन वर्ष" के लिए कुल देय समाधान राशि उस पर कुल देय ब्याज सहित जमा करने के प्रमाण–स्वरुप चालान भी अपने कर–निर्धारक प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं कर देते।

(4) सीजन वर्ष 2008–2009 के लिये समाधान राशि निम्नवत् होगी:–

भट्टे की श्रेणी	समाधान राशि प्रति भट्टा(हजार के पूर्णांक में)
15 पाये तक	74000
16 पाये तक	86000
17 पाये तक	102000
18 पाये तक	120000
19 पाये तक	141000
20 पाये तक	162000
21 पाये तक	185000

22 पाये तक	217000
23 पाये तक	250000
24 पाये तक	282000
25 पाये तक	320000
26 पाये तक	357000
27 पाये तक	396000
28 पाये तक	436000
29 पाये तक	478000
30 पाये तक	522000
31पाये तक	565000
32 पाये तक	610000
33 पाये तक	652000
34 पाये तक	697000
35 पाये तक	742000
36 पाये तक	785000
37 पाये तक	828000
38 पाये तक	873000
39 पाये तक	917000
40 पाये तक	959000

(5) स्पष्टीकरण :–

(क) किसी भी भट्टे में पायों की संख्या वह संख्या होगी, जो भट्टे की चौड़ाई में अन्दर की दीवार से बाहर की दीवार के बीच एक लाइन या रोंस में चट्टों की संख्या है, किन्तु ऐसी किसी भी चट्टे की चौड़ाई भट्टे की चौड़ाई के समानान्तर एक ईट की लम्बाई से अधिक नहीं है। यदि किसी पाये की ऐसी चौड़ाई एक ईट की लम्बाई से कम है तब भी समाधान राशि गणना हेतु इसे पूरा पाया माना जाएगा।

(ख) यदि किसी व्यापारी के एक से अधिक भट्टे हैं अथवा कोई भट्टा उसने लीज पर लिया है तो उसके सभी भट्टों में से प्रत्येक भट्टे की श्रेणी उपरोक्तानुसार निर्धारित करते हुए अलग–अलग समाधान राशि ऊपर उल्लिखित दरों पर देय होगी।

(ग) यदि किसी भट्टे में एक ही समय में दो या अधिक स्थानों पर फुकाई करके उत्पादन किया जाता है तो समाधान धनराशि की गणना के प्रयोजनार्थ प्रत्येक फुकाई के स्थान को एक भट्टा मानते हुए उसकी श्रेणी के अनुसार उपरोक्त दरों से समाधान धनराशि देय होगी।

(घ) यदि प्रार्थी फर्म का विघटन हो जाता है तो नयी फर्म द्वारा देय समाधान राशि सभी संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार कर आयुक्त कर द्वारा स्वयं निश्चित की जायेगी। विघटन के पूर्व की निर्माता फर्म द्वारा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि प्रार्थी फर्म का विघटन के बिना पुनर्गठन किया जाता है, जिसके लिये नये पंजीयन की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे मामलों में पुनर्गठन के पूर्व व उसके बाद की इकाई एक ही इकाई मानी जायेगी तथा पूर्व में निर्धारित समाधान राशि पूरे वर्ष के लिये लागू रहेगी।

(6) इस योजना में समाधान राशि देने का विकल्प अपनाने के इच्छुक व्यापारी संलग्नक प्रारुप–1 में प्रार्थना पत्र अपने करनिर्धारक प्राधिकारी को समाधान योजना लागू होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ प्रारुप–2 में शपथ पत्र भी संलग्न किया जायेगा।

प्रार्थना पत्र के साथ देय समाधान राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा किये जाने का प्रमाण (सम्बन्धी चालान) भी संलग्न किया जायेगा। सामान्य रुप से प्रार्थना पत्र देने की अवधि आयुक्त कर द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(7) यदि कोई ईट निर्माता ऊपर निर्धारित ससय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर सका हो तो वह ऊपर बिन्दु (6) के अनुसार अपना प्रार्थना पत्र समाधान राशि की 25 प्रतिशत राशि एवं उक्त तिथि के बाद हुई देरी के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जमा किये जाने के प्रमाण सहित आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर सकता है।

(8) धारा–7 की उपधारा (2) में विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी कारणवश उसे वापस लेने का अधिकार किसी भी ईट निर्माता का न होगा।

(9) इस योजना के अर्न्तगत देय समाधान राशि निम्नवत जमा की जायेगी :–

1	समाधान राशि का 25 प्रतिशत	प्रार्थना पत्र के साथ समाधान योजना लागू होने के 1 माह के अन्दर
2	समाधान राशि का 15 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 2 माह के अन्दर
3	समाधान राशि का 15 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 3 माह के अन्दर
4	समाधान राशि का 15 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 4 माह के अन्दर
5	समाधान राशि का 15 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 5 माह के अन्दर
6	समाधान राशि का 15 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 6 माह के अन्दर

(10) यदि ऊपर निर्धारित अवधि तक देय राशि जमा नहीं की जाती तब उक्त तिथि के बाद की ठीक अगली तिथि से राशि जमा करने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ईट निर्माता के विरुद्ध देय समाधान राशि की बकाया राशि की वसूली माल गुजारी की बकाया की वसूली की भांति भी की जायेगी और उसके विरुद्ध यथास्थिति अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकती है।

(11) यदि कोई ईट निर्माता व्यापारी उपर प्रस्तर (6) या यथास्थिति प्रस्तर (7) में निर्धारित तिथि तक धारा–7 की उपधारा (2) में विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार नहीं देते तो यह समझा जायेगा कि वह विधि के सामान्य प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण कराना, रिर्टन प्रस्तुत करना तथा कर का भुगतान करना चाहते हैं और तदनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(12) किसी ईट निर्माता को यह विकल्प न होगा कि वह सीजन वर्ष की आंशिक अवधि अथवा अपने कुल ईट भट्टों में से एक या कुछ भट्टों के सम्बन्ध में एकमुश्त समाधान राशि का विकल्प प्रस्तुत करे तथा शेष भट्टों के सम्बन्ध में सामान्य प्राविधान के अन्तर्गत मूल्य वर्धित कर जमा करें।

(13) यदि किसी नये ईट निर्माता व्यापारी द्वारा नए खुदे भट्टे में पहली फुकाई "सीजन वर्ष" में दिनांक 01–04–2009 को या उसके बाद प्रारम्भ की जाती है तो ऐसे भट्टों में निर्मित ईट, टाइल्स तथा ऐसी ईटों के रोड़े और राबिस की उक्त "सीजन वर्ष" की शेष अवधि में की गयी बिक्री तथा उसी अवधि में ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, लकड़ी, कोयला और लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय कर के विकल्प में देय एक मुश्त राशि ऊपर प्रस्तर (4) में देय

समाधान राशि का 75 प्रतिशत ही होगी। सीजन वर्ष में दिनांक 31–03–2009 तक कभी भी फुकाई प्रारम्भ करने पर ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित समाधान राशि ही देय होगी। ऐसे ईट निर्माता को अपना प्रार्थना पत्र प्रारुप–1 में शपथ–पत्र/अनुबन्ध (प्रारुप–2) सहित फुकाई प्रारम्भ करने के 30 दिन के अंदर अथवा योजना प्रारम्भ होने के एक माह के अन्दर जो भी बाद में पड़े प्रस्तुत करना होगा। ऊपर प्रस्तर (5) के स्पष्टीकरण (घ) में इंगित, ऐसी फर्म जिसका विघटन धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड़ (ङ)(ii) के अन्तर्गत हो गया है, अपना प्रार्थना पत्र प्रारुप–1 में तथा शपथ–पत्र/अनुबन्ध (प्रारुप–2) सहित आयुक्त वाणिज्य कर को विघटन के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगी। सामान्य रुप से यह अवधि आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा बढ़ायी जा सकती है, लेकिन, उक्त अवधि के बाद हुई देरी के लिए निर्धारित दर से ब्याज जमा किये जाने का प्रमाण–पत्र सहित आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रार्थना पत्र दिया जा सकेगा।

(14) ऊपर प्रस्तर (13) में इंगित नये ईट निर्माता द्वारा देय एकमुश्त राशि (समाधान राशि) भी प्रस्तर (9) की व्यवस्था के अनुसार ही जमा की जायेगी।

(15) समाधान राशि का विकल्प देने वाले किसी ईट निर्माता द्वारा अपने किसी भट्टे के पायों में वृद्धि की जाती है तो इसकी सूचना उन्हें अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को 30 दिन के अन्दर देनी होगी तथा ऐसे भट्टे के सम्बन्ध के बढ़े हुए पायों की संख्या के आधार पर "सीजन वर्ष" के लिए ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित एकमुश्त जमाराशि देय होगी।

(16) यदि वाणिज्य कर विभाग के किसी अधिकारी द्वारा भट्टे में पायों की संख्या ईट निर्माता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में घोषित पायों की संख्या से अधिक पायी जाती है और ईट निर्माता उस संख्या को स्वीकार करता है तब उसे भट्टे के सम्बन्ध में सीजन वर्ष के लिए अधिकारी द्वारा पाई गई संख्या के आधार पर समाधान राशि देय होगी।

(17) यदि ईट निर्माता अधिकारी द्वारा पाये गए पायों की संख्या को स्वीकार नहीं करता है तब सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर तत्काल अन्य किसी एक डिप्टी कमिश्नर अथवा दो असिस्टैन्ट कमिश्नर द्वारा जांच करवायेंगे और उक्त अधिकारी/अधिकारियों द्वारा भट्टे की जांच के आधार पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा निर्धारित पायों की संख्या अंतिम मानी जायेगी और तद्नुसार देय समाधान राशि निर्धारित होगी।

(18) ऊपर प्रस्तर (15),(16) तथा (17) के अनुसार यदि समाधान राशि पुनरीक्षित होती है तब प्रस्तर (4) अथवा यथास्थिति प्रस्तर (13) के अनुसार देय राशि भी पुनरीक्षित होगी और प्रत्येक किश्त से सम्बन्धित बकाया राशि पर उसके जमा किये जाने की तिथि के बाद की अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

(19) यदि सीजन वर्ष में किसी भट्टे के केवल स्थान में ही परिवर्तन किया जाता है, किन्तु पायों की संख्या तथा ईट निर्माता फर्म के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता तब उस सीजन वर्ष के लिए अन्यथा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(20) देर से फुकाई प्रारम्भ करने, प्रारम्भ ही न करने अथवा अन्य किसी कारण से प्रस्तर (4) अथवा प्रस्तर (13) में देय समाधान राशि में कोई कमी/परिवर्तन न होगा।

(21)प्रार्थना पत्र तथा शपथ–पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ईट भट्टों आदि की जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी जांच ईट निर्माता व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जांच कार्य मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग की स्थिति में प्रार्थना पत्र तथा शपथ–पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जाएगा। साथ ही यदि कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसा उचित समझें तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार भी हो सकता है तथा उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। विपरीत बिन्दु पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर का निर्णय अंतिम होगा और कर निर्धारक प्राधिकारी तथा ईट निर्माता द्वारा मान्य होगा।

(22) इस योजना के स्वीकार करने वाले, ईट निर्माता व्यापारी कोई धनराशि वाणिज्य कर के रुप में ग्राहक से वसूल नहीं करेंगे। यदि वह वसूल करते हैं तो ऐसी धनराशि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 40 के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी और की गई वसूली के लिए धारा 58 में कार्यवाही भी की जायेगी।

(23) समाधान योजना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले ईट निर्माता व्यापारियों को ईट निर्माण हेतु कोयला आयात करने के लिये समाधान राशि को ही कर मानते हुए उसके आधार पर विक्रयधन का आंकलन करते हुए, ऐसे आंकलित विक्रय धन से निर्मित ईटों की संख्या का अनुमान किया जायेगा और उसी के आधार पर कोयला आयात करने के लिये आयात घोषणा पत्र तथा फार्म–''सी'' सम्बन्धित ईट निर्माता व्यापारी को नियमानुसार जारी किये जायेंगे। यह कार्यवाही आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा की जायेगी।

(24) यदि अत्यधिक भीषण दैवी आपदा जैसे अत्यधिक वर्षा के कारण किसी क्षेत्र में सामान्य रुप से तबाही होती है, जिसमें योजना के अन्तर्गत समाधान कराने वाले ईट निर्माता को भी क्षति होती है और ईट निर्माता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा तुरन्त जांच करायी जायेगी ताकि तथ्यों का सत्यापन हो सके, तब शासन द्वारा अन्य व्यापारियों को दी जा रही सुविधा के साथ ऐसे ईट निर्माता को भी सुविधा देने पर विचार किया जायेगा।

(25) उत्तराखण्ड ईट निर्माता संघ, एवं ईट निर्माता जिला समितियां उन भट्टों के शपथ–पत्र की तसदीक कर सकेगी, जिनके द्वारा समाधान योजना करने का विकल्प दिया जाए।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रारूप–1

भट्टा व्यवसाय में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

सेवा में,

करनिर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड.....
मण्डल/ उपमण्डल...

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 में .....कार्यालय.....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या..... .....दिनांक.....से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधिकारी खण्ड.....मण्डल/ उपमण्डल..... .....के कार्यालय में दिनांक .....को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी/ साझीदार .....हूँ। मैंने ईट निर्माताओं द्वारा अपने भटटे में स्वनिर्मित ईटों, ईट भट्टे में निर्मित टाइल्स, ऐसे ईट के रोड़ों, राबिश आदि की दिनांक 01.10.2008 से 30.09.2009 की अवधि में की गयी बिकी पर तथा उक्त ईट आदि के निर्माण में प्रयोग हेतु क्रय किये गये लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे पर देय कर के विकल्प में धारा–7 की उपधारा (2) में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभॉति समझ लिया है। उक्त निर्देश की सभी शर्ते मुझे मान्य हैं। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा ईंटों, ईट भट्ठे में निर्मित टाइल्स तथा ऐसी ईट की रोड़ो और राबिश की सीजन वर्ष 01.10.2008 से 30.09.2009 में हुई बिकी तथा इसी अवधि में ईटों के निर्माण में प्रयोग हेतु क्रय किये गये लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–7 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र/ अनुबन्ध के अनुसार रूपया.....स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ। कुल राशि को मैं शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र में दी गयी शर्तो के अनुसार जमा करता रहूँगा। उक्त धनराशि का –– प्रतिशत राशि रूपये .....तथा उस पर देय ब्याज मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है, जिसका चालान संलग्न है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण से मेरा यह निवेदन वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा। दिनांक 01.10.2008 को मेरे यहॉ स्टाक निम्नवत् था :–

क्रम सं0 मद	संख्या/ मात्रा	स्थान जहॉ स्टाक है।
1	पक्की ईटें	
2	इटों के रोड़े	
3	भट्ठे में निर्मित टाइल्स	

4	राबिश
5	कोयला
6	लकड़ी
7	बालू
8	लकड़ी का बुरादा

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रामाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म.....के स्वामी/ साझीदार.....हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
पूरा नाम.....
पूरा पता.....

प्रारूप–2 :–

समक्ष करनिर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड.....
मण्डल/ उपमण्डल.....

मैं .....पुत्र श्री.....आयु लगभग.....वर्ष, स्थायी निवासी.....(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि–

1. मैं, फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी/ साझीदार.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2. मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् हैं:–

पूरा पता वस्तुएं जिसका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण
1– मुख्यालय	
2– शाखायें	
(अ)	
(ब)	
(स)	

3– उत्तराखण्ड ईट निर्माताओं द्वारा ईटों, ईट भट्टे में निर्मित टाईल्स, ईटों के रोड़ो तथा राबिश की सीजन वर्ष 01.10.2008 से 30.09.2009 में हुई बिक्री और उसी अवधि में ईटों के उत्पादन में प्रयुक्त लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्ते आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4– मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर ईट के निम्नलिखित भट्टे सीजन वर्ष 01 अक्टूबर, 2008 से 30.09.2009 में है तथा रहेंगे। यदि इसमें कोई परिर्वतन/ वृद्धि होती है, हो या किसी भटटे के पायों में कमी या वृद्धि की जाती है तो उसकी सूचना ऐसे परिवर्तन/ वृद्धि की जाती है तो उसकी सूचना ऐसे परिवर्तन/ वृद्धि से तीस दिन के अन्दर अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को उपलब्ध कराऊँगा।

भट्ठों की कम संख्या	भट्ठों का नाम एवं पूरा पता	पायों की संख्या	एक समय में कितने स्थान पर फुकाई होती है।	पायों की सं0 के आधार पर प्रत्येक भट्ठे के लिए प्रस्तावित एक मुश्त धनराशि	प्रस्तावित समाधान राशि
1	2	3	4	5	6

कुल योग.....

5– प्रस्तर–4 में अंकित भट्ठों तथा इसी तालिका के स्तम्भ–6 में अंकित धनराशि का कुल योग.....होता है जो मेरी/हमारी फर्म द्वारा देय होगा। इस धनराशि की 25 प्रतिशत राशि का चालान इस शपथ पत्र अनुबन्ध व मेरे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब अवशेष समाधान धनराशि मेरी फर्म द्वारा निम्न प्रकार से जमा की जायेगी–

1	समाधान राशि का 15 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 2 माह के अन्दर
2	समाधान राशि का 15 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 3 माह के अन्दर
3	समाधान राशि का 15 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 4 माह के अन्दर
4	समाधान राशि का 15 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 5 माह के अन्दर
5	समाधान राशि का 15 प्रतिशत	समाधान योजना लागू होने के 6 माह के अन्दर

6– हमारा/ मेरा भट्टा नया अथवा.....से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–3 की उपधारा (7) के खण्ड (ड.)(ii) के अन्तर्गत विघटन के कारण पुर्नगठित हुआ है और इसमें दिनांक..... से फुकाई प्रारम्भ हुई है/होगी। इस पर देय समाधान राशि रू0.....होती है, जिसका 1/3 मैंने .....बैकों की शाखा.....में जमा कर दिया है और चालान संलग्न है। शेष धनराशि मैं आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूगा।

7– यदि सीजन वर्ष दिनांक 01.10.2008 से 30.09.2009 के लिये मेरा धारा–7 की उपधारा (2) में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक–1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तो/ प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा व्यापार कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियॉ मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगा।

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

घोषणा

मैं कि.....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर–1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मै तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेगें।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम एवं पता.....
तिथि एवं स्थान.....